रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 538] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 24, 2018/पौष 3, 1940
No. 538] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 24, 2018/PAUSHA 3, 1940

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2018

फा. सं. आरईजी/11/27/बीईवीओ-लेबलिंग/एफ़एसएसएआई-2018.—खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2018 का प्रारूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना फाइल सं. आरईजी/11/27/बीईवीओ-लेबलिंग/एफ़एसएसएआई-2018, तारीख 28 मई, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किया गया था जिसमें उन व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गयीं थीं, तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 1 जून 2018 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया गया था;

अतः, अब, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, उक्त अधिनियम की धारा 23 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

विनियम

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) प्रथम संशोधन विनियम, 2018 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवत्त होंगे तथा खाद्य कारोबार चालक को 1 जुलाई, 2019 से इन विनियमों के सभी प्रावधानों का अनुपालन करना होगा।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 के अध्याय 2 में,-

(1) " घोषणा की रीति" से संबन्धित विनियम 2.3 में, उप-विनियम 2.3.3 में, द्वितीयक परंतुक के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

''परंतु यह और कि उप-विनियम 2.4.2 के खंड (5), (6), (7), (8) और (10) और 2.4.4 के अधीन अपेक्षित लेबल घोषणा कि दशा में उत्पाद के उपयोग या तैयारी के लिए अनुदेश विनिर्दिष्ट करने वाली घोषणा कि दशा के सिवाय, अक्षरों का आकार 3 मि. मी. (एमएम) से कम नहीं होगा।"

(2) "विनिर्दिष्ट अपेक्षाएँ/ लेबल लगाने की रीति पर निर्बंधन" से संबन्धित विनियम 2.4 में, उप-विनियम 2.4.2 में, खंड 11 के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"11. प्रत्येक पैकेज पर, जिसमें खाद्य तेलों का अधिमिश्रण है, पैक के प्रष्ठ भाग पर ब्रांड नाम/ट्रेड नाम के तुरंत बाद निम्नलिखित लेबल होगा, अर्थात् :-

सम्मिश्रित खाद्य वनस्पति तेल
(खाद्य वनस्पति तेल का नाम और प्रकृति*)................भार के अनुसार प्रतिशत
(खाद्य वनस्पति तेल का नाम और प्रकृति*)................भार के अनुसार प्रतिशत

(*अर्थात् कच्चे या परिष्कृत रूप में)

लेबल घोषणा "सम्मिश्रित खाद्य वनस्पति तेल" का फ़ॉन्ट आकार 5 मिमी (एमएम) से कम नहीं होगा और लेबल घोषणा "खाद्य वनस्पति तेल का नाम और प्रकृति................भार के अनुसार प्रतिशत" का फॉन्ट आकार 3 मिमी (एमएम) से कम नहीं होगा:

परंतु यह कि लेबल घोषणा में फ़ॉन्ट आकार 10 मिमी से कम न हो, यदि पैकेज में निहित खाद्य तेलों की शुद्ध मात्रा 5 लीटर या उससे अधिक हो।

उत्पाद के नाम के साथ सामने मध्य पैनल पर काले मोटे अक्षरों में निम्नलिखित घोषणा भी होगी,-

खुला विक्रय ना किया जाए

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III /4/असा./459/18]

टिप्पण :- मूल विनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्यांक फा. सं. 2-15015//30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांकों द्वारा संशोधन किए गए थे :-

(i) फा. सं. 4/15015/30/2011, तारीख 7 जून, 2013;

(ii) फा. सं. पी. 15014/1/2011-पी.एफ.ए./एफ.एस.एस.ए.आई., तारीख 27 जून, 2013;

(iii) फा. सं. 1-83 एल./एससीआई.पैन-अधि./एफ.एस.एस.ए.आई.-2012, तारीख 17 फरवरी, 2015;

(iv) सं. 3-16/विनिर्दिष्टए खाद्य/अधिसूचना (खाद्य लेबलिंग)/एफएसएसएआई-2014, तारीख 3 मई , 2016;

(v) फा.सं. 1 (94)2015/अधिसूचना पी एंड एल/प्रव,/एफ.एस.एस.ए.आई, तारीख 25 मई, 2016;

(vi) सं. 3-14 पी /अधिसूचना (न्यूट्रास्टिकल्स)/एफ़एसएसएआई -2013, तारीख 13 जुलाई, 2016 और

(vii) फा.सं. 1-120(2)/मानक/किरणित/एफएसएसएआई-2015, तारीख 23 अगस्त, 2016।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December, 2018

F. No. REG/11/27/BEVO-Labelling/FSSAI-2018.—Whereas the draft of the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Amendment Regulations, 2018, were published as required under sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), *vide* notification of the Food Safety and Standards Authority of India number F. No. REG/11/27/BEVO-Labelling/FSSAI-2018, dated the 28th May, 2018, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 01st June, 2018;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (k) of sub-section (2) of section 92 read with section 23 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011, namely:-

Regulations

1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) First Amendment Regulations, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette and Food Business Operator shall comply with all the provisions of these regulations by 1st July, 2019.

2. In the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011, in Chapter 2,-

(1) in regulation 2.3 relating to “Manner of declaration”, in sub-regulation 2.3.3, for second proviso, the following shall be substituted, namely:-

“Provided further that in case of label declarations required under clause (5), (6), (7), (8) and (10) of sub-regulation 2.4.2, and sub-regulation 2.4.4 except in case of declaration specifying instructions for use or preparation of the product, the size of numeral and letters shall not be less than 3mm.”;

(2) in regulation 2.4 relating to “Specific Requirements/Restrictions on manner of Labelling”, in sub-regulation 2.4.2, for clause 11, the following shall be substituted, namely:-

"11. Every package containing an admixture of edible oils shall carry the following label declaration immediately below its brand name/trade name on front of pack, namely:-

Blended Edible Vegetable Oil (Name and nature* of edible vegetable oil) ……………………..% by weight (Name and nature* of edible vegetable oil)………………………% by weight

(*i.e. in raw or refined form)

The font size of the label declaration "Blended Edible Vegetable Oil" shall not be less than 5 mm and for label declaration "Name and nature of edible vegetable oil…..% by weight", font size shall not be less than 3mm:

Provided that the font size of the label declaration "Blended Edible Vegetable Oil" shall not be less than 10mm in case the net quantity of the edible oil contained in the packages is 5 litre and above.

There shall also be the following declaration in bold capital letters along with the name of product on front/central panel,-

NOT TO BE SOLD LOOSE".

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT. III/4/Exty./459/18]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 *vide* notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended *vide* notification numbers:

(i) F. No. 4/15015/30/2011, dated the 7th June, 2013;

(ii) F.No. P 15014/1/2011-PFA/FSSAI, dated the 27th June, 2013;

(iii) F. No. 1-83L/Sci. Pan- Noti/FSSAI-2012, dated the 17th February, 2015;

(iv) No. 3-16/ Specified Foods/Notification(Food Labelling)/FSSAI-2014, dated 3rd May, 2016;

(v) F. No. 1(94)2015/Notification P&L/Enf/FSSAI, dated 25th May, 2016;

(vi) No.3-14P/Notification(Nutraceuticals)/FSSAI-2013, dated 13th July, 2016 and

(vii) F. No. 1-120(2)/Standards/Irradiation/FSSAI-2015, dated 23rd August, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2018.12.29 17:12:40 +05'30'